राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर
फोन 0141-2226532 एवं 0141-2226605 फैक्स 0141-2226631
E-mail : sjeraj_dev@yahoo.co.in, website : www.sje.rajasthan.gov.in

क्रमांकः- एफ 11(164) देव.यो. / वि.पि.व. / देव.छा.उ.शि.आ.स.यो.दि.नि. / सान्यअवि / 11-12 / 73905 - 74160 दिनांकः- 21/09/2011

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. निदेशक, प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर।
3. निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. प्राचार्य, राजकीय...महाविद्यालय.................................।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय...पॉलिटेक्निक महाविद्यालय...........................।
6. अधीक्षक / जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी...............................।
7. प्राचार्य...मेडीकल कॉलेज...
8. उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समस्त ....।

विषय :- देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना सम्बन्धी दिशा निर्देश-2011

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण वर्ष 2011-12 में की गई घोषणा संख्या-75 की अनुपालना में राजस्थान मूल के विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया-लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4.राईका, रैबारी (देबासी), की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राऐं जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों व राजकीय विश्वविद्यालयों की कक्षाओं में अध्ययनरत हैं, उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना सम्बन्धी दिशा निर्देश-2011 की प्रति (पृष्ठ संख्या 1 से 5) आपको योजना की क्रियान्वती हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांकः- एफ 11(164) देव.यो. / वि.पि.व. / देव.छा.उ.शि.आ.स.यो.दि.नि. / सान्यअवि / 11-12 / 74161-268 दिनांकः- 21/09/2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय राजस्थान शासन सचिवालय जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव आयोजना विभाग शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
10. प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
11. प्रमुख शासन सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
12. रजिस्ट्रार...।
13. माननीय जिला प्रमुख, समस्त ....।
14. जिला कलक्टर समस्त ....।
15. संयुक्त निदेशक (योजना) / मुख्य लेखाधिकारी / एनालिस्ट कम प्रोग्रामर / सहायक निदेशक (जन सम्पर्क) / सहायक निदेशक (शिक्षा) मुख्यावास।

निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

C:\Users\dev\Documents\anuprati vistar sbc

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस होटल के पीछे

क्रमांक: एफ 11(164) देव.यो./वि.पि.व./देव.छात्रा.उ.शै.आ.स.यो./सान्याअवि/11/73904 जयपुर, दिनांक 21/09/2011

देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना सम्बन्धी दिशा निर्देश–2011

राजस्थान मूल के विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] की महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राऐ जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों व राजकीय विश्वविद्यालयों की कक्षाओं में अध्ययनरत है, उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु दिशा निर्देश :–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रभावित क्षेत्र :–

i. यह दिशा निर्देश, देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना सम्बन्धी दिशा निर्देश –2011 कहलायेंगे।

ii. यह दिशा निर्देश सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होंगे।

iii. यह दिशा निर्देश अप्रेल, 2011 से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाऐं :–

i. राज्य सरकार, से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।

ii. विभाग, से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार से है।

iii. प्रमुख शासन सचिव से तात्पर्य प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से है।

iv. निदेशक से तात्पर्य निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से है।

v. अभ्यार्थी से तात्पर्य, वह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4.राईका, रैबारी (देबासी)] की छात्रा जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों की कक्षाओं में अध्ययनरत हो, से है।

vi. मूल निवासी से तात्पर्य वह विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4.राईका, रैबारी (देबासी)] का अभ्यार्थी है जिसका जन्म राजस्थान राज्य में हुआ हो या राज्य में 10 वर्षो से लगातार रह रहा हो तथा अभ्यार्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र हो।

vii. जिलाधिकारियों से तात्पर्य जिले में पदस्थापित उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से है।

viii. प्रभारी अधिकारी से तात्पर्य निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग स्तर पर योजना की कार्यवाही देख रहे अधिकारी से है।

3. योजना के तहत देय लाभ :—

i. राजकीय उच्च माध्यमिक कक्षा की छात्राएं – कुल सहायता राशि रुपये 3500/– प्रतिवर्ष (350 रुपये प्रति माह 10 माह हेतु या शिक्षण सत्र की अवधि तक जो भी कम हो)

ii. राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों की छात्राएं – कुल सहायता राशि रुपये 5000/– प्रतिवर्ष (500 रुपये प्रति माह 10 माह हेतु या शिक्षण सत्र की अवधि तक जो भी कम हो)

4. पात्रता :– पात्रता की निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर लाभ देय होगा।

i. योजना का लाभ विशेष पिछड़ा वर्ग की उन छात्राओं को प्राप्त होगा जो राजस्थान की मूल निवासी है और राजस्थान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षाओं, राजकीय महाविद्यालयों, राजकीय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हो।

ii. छात्राओं के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो। (आय प्रमाण–पत्र संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो जो अधिकतम 6 माह से अधिक पुराना न हो)

iii. उत्तर मैट्रिक छात्रवृति अथवा अन्य किसी प्रकार की छात्रवृति के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आवेदन करने वाली विशेष पिछडा वर्ग की छात्राये देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना की पात्र नहीं होगी।

5. लाभार्थी की चयन प्रकिया :–

i. विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र (गत वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रतिय एवं आय प्रमाण – पत्र संलग्न कर) संस्था प्रधान को 30 सितम्बर तक प्रस्तुत किये जायेंगे।

ii. यदि छात्रा द्वारा शिक्षण संस्था में प्रवेश 30 सितम्बर के बाद लिया जाता है तो प्रवेश की तिथि से एक माह के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

iii. संस्था प्रधान द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की आवश्यक जांच कर प्रत्येक छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा, पता अंकित करते हुए सूची मय प्रमाणीकरण के आवेदन पत्रों के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संबंधित जिलाधिकारी को 30 सितम्बर तक प्राप्त आवेदन पत्रों को 10 अक्टूबर तक एवं 30 सितम्बर के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राप्ति तिथि के बाद 10 दिवस के अन्दर भिजवायेंगें।

iv. जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संस्था प्रधान से प्राप्त आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद में प्राप्ति कमांक एवं दिनांक अंकित करते हुए दी जायेगी।

v. संबंधित जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रविष्टियों हेतु एक पंजिका का संधारण किया जायेगा जिसमें प्राप्त आवेदन की तिथि, आवेदक का नाम व पता, स्वीकृति की तिथि, स्वीकृत राशि एवं छात्र के बैंक खाते में राशि जमा कराने की तिथि अंकित की जायेगी।

vi. जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच कर सही पात्र छात्राओं की स्वीकृति एक माह के अन्दर मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के अनुमोदन पश्चात जारी कर भुगतान किया जायेगा।

vii. जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उक्त स्वीकृति के आधार पर कोषालय से राशि आहरित कर सम्बन्धित छात्राओं के बैंक खातों में जमा करवायी जायेगी तथा तत्सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित संस्था प्रधान को भी दी जायेगी।

viii. योजना से सम्बन्धित समस्त रिकार्ड पत्रावली, वाउचर, आवेदन पत्र, लेखा सम्बन्धी रिकार्ड आदि का संधारण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

ix. योजना में होने वाले व्यय का विवरण एवं लाभान्वितों की सूची सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी द्वारा निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भिजवाये जायेंगे।

x. छात्रा को अपना खाता स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में खुलवाना होगा ताकि भुगतान सुगमता से हो सके।

6. योजना की मोनिटरिंग एवं बजट आवंटन :–

देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना के क्रियान्वयन, मोनिटरिंग एवं जिलाधिकारियों को बजट आवंटन की कार्यवाही प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

7. दिशा निर्देशों का विनिर्णय :–

इस योजना के प्रावधानों के सम्बन्ध में कोई संशय/विवाद होने के स्थिति में प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता आवेदन पत्र

छात्रा का पासपोर्ट साइज फोटो जो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित हो

सेवा में,

विषय : देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना में आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति करने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं वर्तमान में ------------------------------------ राजकीय विद्यालय / राजकीय महाविद्यालय में कक्षा ----- -----में अध्ययन कर रही हूँ। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. नाम छात्रा : ------------------------------------
2. पिता का नाम : ------------------------------------
3. जाति : ------------------------------(जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
4. स्थाई निवास का पता : ------------------------------------
   (मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
5. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता : ------------------------------------
6. मोबाईल नम्बर ------------------------ टेलीफोन नम्बर ----------------
7. कक्षा जिसमें अध्ययनरत है : ------------------------------------
8. प्रवेश दिनांक एवं वर्ष : ------------------------------------
9. कोर्स का नाम : ------------------------------------
10. कोर्स की अवधि : ------------------------------------
11. राजकीय विद्यालय / महाविद्यालय का नाम : ------------------------
12. पिता / अभिभावक की वार्षिक आय : ------------------------------
    (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
13. क्या पिता / अभिभावक आयकर दाता है : हाँ / नहीं
14. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में छात्रा का बचत खाता संख्या----------------
    (पासबुक की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

मैं प्रमाणित करती हूँ कि उक्त विवरण में दर्शाई गई सूचना सत्य है। इसमें मेरे द्वारा कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है। अंक तालिका, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ एवं आय प्रमाण पत्र संलग्न है। कृपया मुझे नियमानुसार आर्थिक सहायता स्वीकृत करावें।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर आवेदक

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा------------------------------------पिता श्री ------------------------- ------------------------- जाति ---------------------------------------गांव ------------------------- पंचायत समिति --- ---------------------- जिला ----------------------------- की रहने वाली हैं एवं इस राजकीय विद्यालय/महाविद्यालय की कक्षा ------------- में नियमित अध्ययनरत हैं। छात्रा का आचरण उत्तम है। उक्त छात्रा को माह...................से.........................तक.............अवधि के लिये देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत नियमानुसार देय राशि स्वीकृत करने की अभिशंषा करता हूँ।

दिनाक :

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय मोहर

संस्था प्रधान द्वारा छात्रा को दी जाने वाली प्राप्ति रसीद

छात्रा... पुत्री श्री ....कक्षा........... की नियमित छात्रा है से देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना में सहायता हेतु आवेदन पत्र दिनांक ....को प्राप्त हुआ।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर